

स्पीडपोस्ट

प्रेषक,

मण्डलायुक्त,  
गोरखपुर।

सेवा में,

संयुक्त सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन,  
शिक्षा अनुभाग-7,  
लखनऊ।

संख्या:

/सत्ताईस-43(2008-09)

दिनांक 13 दिसम्बर, 2010

विषय:

प्रदेश स्थित माध्यमिक शिक्षण संस्थाओं को सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेण्डरी एजुकेशन नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 04.12.2010 में लिये गये निर्णय की सूचना।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या: 1916/15-7-09-1(299)/2007 दिनांक 14 जुलाई, 2009 के प्रस्तर - 5 द्वारा गठित मण्डलीय समिति की बैठक दिनांक 04.12.2010 को सम्पन्न हुई, जिसमें सरमाउण्ट इण्टर नेशनल स्कूल, सिद्धार्थपुरम, तारामण्डल, गोरखपुर को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने पर विचार विमर्श किया गया।

शासनादेश संख्या: 2762/15-13-91-41461/91 दिनांक 30 नवम्बर, 1991 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप विद्यालय के प्रबन्धक द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों एवं निर्धारित बिन्दुओं पर उप जिलाधिकारी, सदर, गोरखपुर से सरमाउण्ट इण्टर नेशनल स्कूल, सिद्धार्थपुरम, तारामण्डल, गोरखपुर की जांच करायी गयी। उप जिलाधिकारी, सदर, गोरखपुर की जांच आख्या दिनांक 01.12.2010 एवं संयुक्त शिक्षा निदेशक, सप्तम मण्डल, गोरखपुर की स्थलीय निरीक्षण आख्या दिनांक 02.11.2010 के आधार पर मण्डलीय समिति द्वारा सरमाउण्ट इण्टर नेशनल स्कूल, सिद्धार्थपुरम, तारामण्डल, गोरखपुर को सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेण्डरी एजुकेशन नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में सहर्ष सहमति इस अनुबन्ध के साथ प्रदान की गयी है कि शासनादेश संख्या: 2762/15-13-91-41461/91 दिनांक 30 नवम्बर, 1991 के प्रस्तर-4 व 5 में अंकित शर्तों के उल्लंघन करने की स्थिति में यह अनापत्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। मण्डलीय समिति की बैठक दिनांक 04.12.2010 का कार्यवृत्त संलग्न है।

कृपया तदनुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

  
13/09/2023  
PRINCIPAL

SURMOUNT INTERNATIONAL SCHOOL  
Siddharthpuram Taramandal, Gorakhpur

  
Manager

Surmount International School  
Siddharth Puram Taramandal  
Gorakhpur (U.P.)

(पी०के०महान्ति)  
मण्डलायुक्त।